यूपी में गन्ना मूल्य के लिए सर्वमान्य फॉर्मूला जरूरी

गन्ना मूल्य पर राज्य सरकार व चीनी मिलों के बीच गतिरोध से पेराई दो माह लेट हो चुकी है। इससे सभी को नुकसान हो रहा है। सरकार को गन्ना राजनीति त्यागकर स्वीकार्य फॉर्मूला बनाना चाहिए

नया मार्केटिंग सीजन 2013-14 पिछले एक अक्टूबर से शुरू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई शुरू नहीं हो पाई है। किसानों से खरीदे जाने वाले गन्ने के मूल्य को लेकर राज्य सरकार और चीनी मिलों के बीच सहमति न बन पाने की वजह से चीनी का उत्पादन शुरू होने में करीब दो माह की देरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने गन्ने का मूल्य पिछले साल के स्तर पर अपरिवर्तित रखते हुए 280 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। जबकि मिलें इसमें भारी कटौती करके 225 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य देना चाहती हैं। उनका तर्क है कि रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप चीनी के मौजूदा मूल्य के आधार पर गन्ने का यही दाम बनता है। गन्ना मूल्य पर सहमति बनाने के लिए मंगलवार और बुधवार को हुई बैठकें बेनतीजा साबित हुई। अब राज्य सरकार ने एंट्री टैक्स और परचेज टैक्स न वसूलने का ऐलान कर मिलों को कुछ राहत दी है, लेकिन साथ ही उनसे हफ्ते भर में मिलें चालू करने का दबाव भी बनाया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

इस समूचे मामले में चीनी मिल मालिकों का रुख स्वकेंद्रित ज्यादा नजर आ रहा है। राज्य सरकार के लिए गन्ने का खरीद मूल्य 20 फीसदी से ज्यादा घटाना संभव नहीं है। आखिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी किसानों को उचित मूल्य दिलाने की भी है। रंगराजन कमेटी ने पिछले साल अपनी सिफारिशों में गन्ने का मूल्य चीनी के बाजार से जोड़ने की सिफारिश की थी। लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों से उत्तर प्रदेश के किसानों का भला होने वाला नहीं है। गन्ने की उत्पादकता के मामले में उत्तर प्रदेश के किसान पीछे रहने की वजह से उनकी लागत ज्यादा आती है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गन्ने की उत्पादकता ज्यादा होने के कारण लागत कम होती है। ऐसे में पूरे देश के लिए एक समान गन्ना मूल्य महाराष्ट्र के किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों की लागत नहीं निकलती है। वैसे यह सही है कि गन्ना मूल्य पर उत्पन्न संकट दूर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है। उसे चीनी मिल संचालकों को संतुष्ट करने के लिए दूसरे उपाय करने चाहिए। मसलन शीरे और एथनॉल की बिक्री और टैक्स में राज्य सरकार राहत दे सकती है। तात्कालिक जरूरत है कि सरकार गन्ने की पेराई जल्दी से जल्दी शुरू करे। देरी होने से किसानों और चीनी मिलों के साथ देश को भी नुकसान हो रहा है। चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका पैदा हो गई है। इससे भी बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार एसएपी के निर्धारण के लिए हर साल इस तरह की समस्या से बचने के लिए सर्वमान्य फॉर्मूला बनाना चाहिए और इसके आधार पर गन्ने का मूल्य तय करना चाहिए। पिछले वर्षों में देखा गया है कि राज्य सरकारों ने गन्ने के जरिये किसानों को राजनीतिक रूप से खुश करने का प्रयास किया। इसका खमियाजा मिलों को ऊंची कीमत अदा करने के रूप में भुगतना पड़ा। अगर सरकार मान्य फॉर्मूला बना लेती है तो किसान अत्यधिक ऊंची कीमत की अपेक्षा नहीं करेंगे और मिल मालिक अत्यंत कम मूल्य पर गन्ना पाने की मंशा नहीं पालेंगे। इससे गन्ने का मूल्य आसानी से तय हो सकेगा। इसका फायदा किसानों के साथ मिल मालिकों को भी मिलेगा।

कही-सुनी

दिनांक 29/11/13